

प्रेस- नोटथाना तरवांअवैध तमंचा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 14-03-2024 को उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा अभियुक्त सम्पूर्णा नन्द दुवे S/O स्व0 कमला दुवे निवासी महुवारी थाना तरवां आजमगढ़ वताया उम्र 48 वर्ष को ग्राम महुवारी से 01 अवैध तमंचा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ समय करीब 15:30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 86/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 86/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तरवां आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- सम्पूर्णा नन्द दुवे पुत्र स्व0 कमला दुवे निवासी महुवारी थाना तरवा जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 48 वर्ष।

आपराधिक इतिहास - मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 01 देशी तमन्चा नाजायज .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 जितेन्द्र कुमार सिंह, का0 गुलशेर अली थाना तरवां व HC जय प्रकाश यादव व का0 दिनेश यादव पीआरवी 1037 थाना तरवां जनपद आजमगढ़।

थाना सिधारीअवैध -तमन्चा कारतूस के साथ 02 अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी के 9200/- रु0 बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 14.03.2024 को वादिनी मुकदमा लक्ष्मी पत्नी संतोष साकिन ऐमावंशी थाना जखनिया जनपद गाजीपुर द्वारा थाना सिधारी पर शिकायत किया गया था कि दिनांक 13.03.2024 को वादिनी आटो में बैठकर नरौली से बेलइसा जा रही थी कि बीच में अज्ञात चोर ने वादिनी के बैग में रखे 09 हजार 07 सौ रुपये सहित पर्स चोरी कर लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 82/2024 धारा 379 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है।

गिरफ्तारी का विवरण- दिनांक 14.03.2024 को उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह को सूचना मिली कि मोटर साईकिल सवार 02 व्यक्ति अवैध असलहा के साथ रोडवेज से नरौली की तरफ आ रहे है। इस सूचना पर उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा नरौली पुल से अभियुक्त 1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सम्हारू राम साकिन छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष को 9200/- रुपये तथा अभियुक्त 2. सूरज कुमार पुत्र रामवेलास साकिन सोहराभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष को 01 तमंचा .315 बोर , व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 21:10 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्तो ने बताया कि दिनांक 13.03.2024 को नरौली से आटो में बैठी एक महिला के पर्स सहित कुल 9700/- रुपये हम दोनो ने मिलकर चोरी कर लिये थे। हम दोनो आटो में बैठी महिलाओं के सामान की रैकी कर उसमें रखे कीमती सामान, गहना एवं नगदी की चोरी कर लेते है।

➡ गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 84/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व0 सम्हारू राम साकिन छपरा सुल्तानपुर थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 42 वर्ष।

2. सूरज कुमार पुत्र रामवेलास साकिन सोहराभार थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 84/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- चोरी के 9200/- रुपये, 01 तमंचा .315 बोर , व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

आपराधिक इतिहास- (दोनो अभियुक्तों के विरुद्ध)

1. मु0अ0सं0- 82/2024 धारा 379 भादवि0 थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0- 84/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सौरभ कुमार सिंह, का0 सतीश कुमार गौड़, का0 आदित्य कुमार थाना सिधारी जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार; चोरी के 10 किलोग्राम सरसो बरामद

पूर्व की घटना- दिनांक 14.03.2024 को वादिनी मुकदमा रेखा पत्नी सुभाष सा0 पवनी कलां थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादिनी के खेत से 1.महेन्द्र पुत्र मुसाफिर व 2. घनश्याम पुत्र मुसाफिर समस्त निवासी पवनी कला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ चोरी से सरसों काट करके उठा ले गये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 87/24 धारा 379 भादवि0 पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 15.03.2024 को उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.महेन्द्र तिवारी पुत्र मुसाफिर सा0 पवनी कला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 2.घनश्याम पुत्र मुसाफिर सा0 पवनीकला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ को उनके घर ग्राम पवनीकला से 10 किलो सरसो के साथ समय करीब 12.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

- 1.महेन्द्र तिवारी पुत्र मुसाफिर सा0 पवनी कला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।
- 2.घनश्याम पुत्र मुसाफिर सा0 पवनीकला थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं 87/24 धारा 379/411 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 10 किलो सरसों

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती, का0 विजेन्द्र धुसिया, का0 सुरेन्द्र प्रताप कन्नौजिया थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

थाना – अहरौला

चोरी के सामान के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.03.2024 को वादी मुकदमा संजू पुत्र जानकी प्रसाद निवासी लहर थाना लहर जनपद भिन्ड (मध्य प्रदेश) द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी रुम में ताला बन्द करके धन्धा करने के लिए चला गया था जब वापस आया तो देखा कि मेरे कमरे का ताला तोड़कर किसी अज्ञात व्यक्ति ने 01 बैटरी बारह बोल्ट की, 01 डेग मशीन , 01 बैग व 5000/- रुपये चोरी कर लिये है। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 108/24 धारा 380/457 भादवि0 पंजीकृत विवेचना उ0नि0 श्याम कुमार द्वारा की जा रही है।

➔ दौरान विवेचना अभियुक्त ज्ञानू पुत्र राजेन्द्र निवासी वार्ड नं0 04 माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 15.03.2024 को उ0नि0 श्याम कुमार दुबे मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त ज्ञानू पुत्र राजेन्द्र निवासी वार्ड नं0 04 माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ को ग्राम रसूलपुर मन्दिर से 01 बैटरी बारह बोल्ट , 01 साउण्ड बाकश मशीन व 01 पिट्टू झोला के साथ समय करीब 11.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 108/24 धारा 380/457/411 भादवि थाना अहरौला जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- ज्ञानू पुत्र राजेन्द्र निवासी वार्ड नं0 04 माहुल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 22 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण- 01 बैटरी बारह बोल्ट , 01 साउण्ड बाकश मशीन व 01 पिट्टू झोला बरामद ।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 श्याम कुमार दुबे, हे0का0 इन्द्रमणि पटेल थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ ।

थाना बिलरियागंज
अवैध तमन्चा व चोरी के टुल्लू मोटर पम्प के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 14.03.2024 को वादी मुकदमा सुबाष प्रजापति पुत्र स्व० रामधारी निवासी ग्राम मझौवा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी का टुल्लू मोटर पम्प किसी अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया है, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 78/24 धारा 379 भादवि० बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त सनोज पासवान पुत्र मोहन पासवान नि० दोरजी धौरहरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 15.03.2024 को उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त सनोज पासवान निवासी दोरजी धौरहरा को दोरजी कुर्थीपुर मोड़ से 01 टुल्लू मोटर पम्प (चोरी का) , 01 तमंचा .315 बोर के साथ समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा० न्यायालय किया गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

1-सनोज पासवान पुत्र मोहन पासवान निदोरजी धौरहरा थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 0।

पंजीकृत अभियोग-

1-मु०अ०सं० 79/2024 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

अपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 78/24 धारा 379/411 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
2. मु०अ०सं० 79/24 धारा 3/25 शस्त्र अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़।
3. मु०अ०सं० 266/23 धारा 60 आबकारी अधि० थाना बिलरियागंज आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि० योगेन्द्र प्रसाद, मु०आ० सिंह सुनील कुमार का० सतेन्द्र यादव, का० आशीष कुमार का० सुमित कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना गम्भीरपुर

मानक से अधिक ध्वनी से डीजे संचालित करने पर डीजे मय वाहन सीज

➡ दिनांक 14/15.03.2024 की रात्रि में डिजे संचालक कमलेश यादव पुत्र फूलचन्द यादव ग्राम गम्भीरपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा समय करीब 10.52 बजे आजमगढ़ -जौनपुर मुख्य मार्ग पर मानक से अधिक ध्वनी से डी०जे० बजाया जा रहा था जिसका स्थानीय लोगो द्वारा विरोध करने पर वादी मुकदमा उ०नि० अनुपम जायसवाल चौकी प्रभारी गम्भीरपुर की तहरीर पर थाना गम्भीरपुर पर मु.अ.सं. 83/24 धारा 268/188 भादवि० पंजीकृत किया गया।

➡ आज दिनांक 15.03.2024 को उ०नि० अनुपम जायसवाल मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित डी०जे० मय वाहन नं० यू०पी० 50 एफ० 4226 मय को सीज किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं. 83/24 धारा 268/188 भादवि० थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 डी०जे० मय वाहन नं० यू०पी० 50 एफ० 4226

थाना मेंहनगर

अवैध तमन्चा रखने वाले अभियुक्त को 02 वर्ष कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

दिनांक 15.03.2024 को मा० न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं० 03, द्वारा थाना मेंहनगर पर पंजीकृत अभियोग मु०अ०सं० 325/2012 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त देवे मनोहर यादव पुत्र बच्चू यादव नि० भवानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को 02 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत जिलाबदर हुए 08 अपराधी

जनपद में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा अपराध नियंत्रण में चलाये जा रहे विशेष अभियान के अन्तर्गत गोवध, चोरी, छेड़खानी व दुष्कर्म में सक्रिय अपराधियों पर गुण्डा अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट महोदय आजमगढ़ द्वारा 08 अपराधियों को दिनांक- 13.03.2024 से 06 माह के लिए जिलाबदर किया गया है। थाना जहानागंज व बरदह से 02-02, थाना मुबारकपुर, फूलपुर, कप्तानगंज व गम्भीरपुर से 01-01 अपराधी जिलाबदर किये गये है।

जिलाबदर हुए 08 अपराधियों का विवरण निम्नवत है-

1. संतोष यादव पुत्र निरंजन यादव निवासी समस्तीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
2. देवीलाल पुत्र मुरजाद निवासी दौलताबाद थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।
3. मकसुद पुत्र स्व0 अजीज निवासी जखावां थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
4. रुस्तम पुत्र स्व0 अजीज निवासी जखावां थाना बरदह जनपद आजमगढ़।
5. तनवीर अहमद पुत्र इम्तियाज अहमद निवासी शहीद नगर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
6. तबरेज पुत्र हाफिज उर्फ जहूर निवासी मुडियार थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़।
7. आकाश यादव पुत्र जीयालाल यादव निवासी देवरियां थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़।
8. अबुशाद उर्फ खरबोटन पुत्र शाबिर निवासी मुहम्मदपुर भिटियां थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना- मेंहनगर

हत्या के 04 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये का जुर्माना

➡ दिनांक- 25.05.2012 को वादिनी मुकदमा कान्ती सिंह पत्नी जितेन्द्र सिंह नि0 टोडरपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया था कि अभियुक्त 1.चन्द्रमन यादव पुत्र स्व0 रामनाथ यादव 2. रामशब्द यादव पुत्र स्व0 सीता यादव 3. राकेश यादव पुत्र मनिराम नि0गण0 टोडरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ 4. मनोहर यादव पुत्र बच्चू यादव नि0 भवानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ द्वारा वादिनी के पति जितेन्द्र सिंह को गोली मारकर हत्या कर दिया गया था।

➡ जिसके सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 244/12 धारा 302/34/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ आज दिनांक- 15.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0 03 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.चन्द्रमन यादव पुत्र स्व0 रामनाथ यादव, 2. रामशब्द यादव पुत्र स्व0 सीता यादव, 3. राकेश यादव पुत्र मनिराम समस्त निवासी टोडरपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ 4. मनोहर यादव पुत्र बच्चू यादव नि0 भवानीपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रूपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

थाना- मेंहनगर

हत्या के 04 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा एवं 20-20 हजार रूपये का जुर्माना

➡ दिनांक- 22.09.2001 को महेश पुत्र रामअवध निवासी असौसा थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया था कि अभियुक्त 1.सुदर्शन सिंह पुत्र बलराम, 2. विजय कुमार सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह, 3. गुड्डू उर्फ अमरनाथ पुत्र फैजदार निवासी गण असौसा थाना मेंहनगर व 4. बेलास पुत्र सरजू निवासी बासूपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा रामरूप यादव पुत्र नकछेद निवासी असौसा थाना मेंहनगर को बस से आजमगढ़ जाते समय बस रूकवाकर गोली मारकर हत्या कर दिया गया था।

➡ जिसके सम्बन्ध में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 188/2001 धारा 302/34/504/506 भादवि व 07 सीएलए एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय दाखिल किया गया।

➡ आज दिनांक- 15.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 05 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.सुदर्शन सिंह पुत्र बलराम, 2. विजय कुमार सिंह पुत्र जंगबहादुर सिंह, 3. गुड्डू उर्फ अमरनाथ पुत्र फैजदार

निवासी गण असौसा थाना मेंहनगर व 4. बेलास पुत्र सरजू निवासी बासूपुर थाना मेंहनगर जनद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास एवं 20-20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

थाना मेंहनगर

अवैध तमन्चा रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

दिनांक 15.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 05, द्वारा थाना मेंहनगर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 203/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त बेलास यादव पुत्र सरजू यादव निवासी बासूपुर थाना मेंहनगर को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

थाना मेंहनगर

अवैध तमन्चा रखने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष कठोर कारावास एवं 3000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा

दिनांक 15.03.2024 को मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश आजमगढ़ कोर्ट नं0- 05, द्वारा थाना मेंहनगर पर पंजीकृत अभियोग मु0अ0सं0 194/2001 धारा 25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त गुड्डू यादव उर्फ अमरनाथ यादव पुत्र फौजदार यादव निवासी अमौसा थाना मेंहनगर को 03 वर्ष के कठोर कारावास एवं 3000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

बीट बुक अपूर्ण रखने व अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने पर मुख्य आरक्षी ना0पु0 संतोष कुमार यादव (पीएनओ 052462665) थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को निलम्बित कर विभागीय जांच के आदेश

जनपद में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के सत्यापन/निगरानी के सम्बन्ध में दिनांक 15.03.2024 को मुख्य आरक्षी ना0पु0 संतोष कुमार यादव (पीएनओ 052462665) थाना बरदह आजमगढ़ का बीट बुक चेक किया गया तो बीट बुक अपूर्ण पाया गया बीट बुक अपूर्ण रखने व अपने पदेन कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता तथा स्वेच्छाचारिता बरतने पर पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उक्त मुख्य आरक्षी को निलम्बित कर विभागीय जांच का आदेश दिया गया ।

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य ने मुख्य आरक्षी ना0 पु0 सुभाष सिंह रघुवंशी (पीएनओ- 902761577) थाना मेंहनाजपुर को दुकानदार से अभद्र व्यवहार करने तथा आम जनमानस में पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में निलम्बित कर विभागीय जांच के आदेश

➡ मुख्य आरक्षी सुभाष सिंह रघुवंशी द्वारा थाना मेहनाजपुर क्षेत्रान्तर्गत दुकानदार से अभद्र व्यवहार करने, थाने पर नियुक्त अधि0/कर्म0गण से बिना वजह वाद-विवाद व अभद्र व्यवहार करने तथा आम जनमानस में पुलिस की छवि धूमिल करने के आरोप में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य द्वारा उक्त मुख्य आरक्षी को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुए प्रकरण की प्रारम्भिक जांच क्षेत्राधिकारी सगड़ी को आवंटित की गयी है।